न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :— कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रा. पत्र संख्या :— 01/119

तारीख दायर :— 18/07/2014

उनवान

1. रामकिशन उर्फ लीलाराम पुत्र सोहनलाल जाति ब्रहामण निवासी लीलामंढा तहसील थानागजी जिला अलवर राजस्थान। (मृतक)

1/1. कमलेश शर्मा पुत्र रामकिशन।

1/2. दिनेश शर्मा पुत्र रामकिशन।

1/3. भीष्म शर्मा पुत्र रामकिशन उर्फ लीलाराम।

1/4. चन्द्रपाल शर्मा पुत्र रामकिशन उर्फ लीलाराम।

1/5. धर्मेश शर्मा पुत्र रामकिशन उर्फ लीलाराम

1/6. रोहिताश शर्मा पुत्र रामकिशन उर्फ लीलाराम जाति ब्राहमण निवासी लीलामंडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान। —प्रार्थीगण।

बनाम

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

— अप्रार्थी असल ।

2. कमला देवी पत्नि कैलाशचन्द
3. मूलचन्द पुत्र नारायणसहाय जोगी
4. चौथमल पुत्र नारायणसहाय जोगी निवासीयान लीला मंढा तहसील थानागजी जिला अलवर राजस्थान।

—तरतीबी अप्रार्थीगण।

॥प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थिति :—

1. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल एडवोकेट प्रार्थी।

2. श्री पैरोकार सरकार एडवोकेट अप्रार्थी।

न्यायालय द्वारा :—

अतिरिक्त खण्ड अधिकारी ... राज०

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 22.05.2018

पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि साबिक खसरा नंबर 260 रकबा 01 बिस्वा, 261 रकबा 08 बिस्वा, 262 रकबा 08 बिस्वा, 263 मि0 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, 268 रकबा 16 बिस्वा, 269 मि0 रकबा 03 बिस्वा जिसका साबिक बन्दोबस्त संवत 2028 में हाल खसरा नंबर 296 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा बना है व उसके बाद नवीन बन्दोबस्त संवत 2060 में हाल खसरा नंबर 332 रकबा 1.18 हैक्टर बना है वाकै ग्राम लीलामंढा तहसील थानागाजी में स्थित है कि जो विवादित आराजी बयान की जा रही है।

उक्त आराजी विवादित के प्रार्थी तथा तरतीबी अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है।

साबिक बन्दोबस्त संवत 2028 से पूर्व साबिक नक्शा मसाबी संवत 1978 सन् 1921–22 में बनी थी उसमे विवादित खसरा नंबरान का रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा अंकित किया है यानि दर्शाया है उसके अनुसार मोके पर भी नक्शा में 04 बीघा 13 बिस्वा सही अंकित किया है। लेकिन जो नक्शा बनाया उसमें रकबा कम दर्शाया है उसके अनुसार ही हाल बंदोबस्त संवत 2060 में रिकार्ड में तो रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा यानि 1.18 हैक्टर सही अंकित किया गया है लेकिन नक्शा मौके के अनुसार नही बनाया बल्कि कम रकबा का बनाया है। उपरोक्तानुसार मौके पर रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा यानि 1.18 हैक्टर मौजूद है लेकिन नक्शा में उसे कम दर्शाया है जो करीब 04 बीघा ही बैठता है। इस तरह 13 बिस्वा रकबा कम बैठता है। यह रकबा विवादित आराजी खसरा नंबरान के तरफ पूर्व की ओर पडता है जिसके लिए नक्शा साबिक बन्दोबस्त संवत 2028 एंव हाल बन्दोबस्त संवत 2060 के नक्शे में दुरूस्ती हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

गत सेटिलमैण्ट संवत 2028 एवं हाल सेटिलमैण्ट संवत 2060 के सैटिलमैण्ट कर्मचारियान द्वारा जो नक्शे बनाए गए है वह गत साबिक नक्शा मसाबी जो संवत 1978 में बना है के एवं मौके के विपरीत बनाने के कारण राजस्व रिकार्ड में तो

(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर), राज0

Scanned by CamScanner

रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा यानि 1.18 हैक्टर का अमल सही आ गया लेकिन जो नक्शे बनाए गए है उनमें 04 बीघा 13 बिस्वा के बजाय 04 बीघा रकबा का ही बनाया है जिससे प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी का 13 बिस्वा रकबा कम आने से विवादित आराजी के आस पास के काश्तकारो एवं पास में ही आबादी की जमीन होने के कारण ग्रामवासीयो के द्वारा जबरन कब्जा करने एवं बेदखल करने का अदेशा हो गया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

साबिक नक्शा मसावी के उपर गत बंदोबरत्त संवत 2028 एवं हाल बंदोरत्त सवंत 2060 में बने नक्शे रखने पर मिलाने पर स्पष्ट मालूम होता है कि सेटिलमैण्ट संवत 2028 एवं सैटिलमैण्ट संवत 2060 के सेटिलमैण्ट कर्मचारियान ने जो नक्शे बनाए है वह प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के खातेदारी के रकबे 04 बीघा 13 बिस्वा यानि 1.18 हैक्टर का नही बैठकर 04 बीघा का ही रकबा बैठता है बाकी 13 बिस्वा रकबा तरफ पूर्व की ओर पडता है जो नक्शा सैटिलमैण्ट के कर्मचारियान द्वारा गलत साबिक नक्शा मसाबी एवं मौके के खिलाफ किया है। बन्दोबरत्त कर्मचारियो ने साबिक नक्शा जो संवत 1978 में बना है को ही रिपीट करना चाहिए था उसे बदलने का कोई अधिकार नही है। सैटिलमैण्ट की ऐसी कार्यवाही पूर्णतया प्रभाव शून्य होती है। इसलिए काबिल दुरस्ती है। बन्दोबरत्त का कार्य समाप्त हो गया है और श्रीमान को ही लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर के अधिकार प्राप्त है इसलिए यह प्रार्थना पत्र नेकनियती से प्रस्तुत है। प्रा. पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी असल बाद तामील उपस्थित। जवाब प्रा0 पत्र पेश किया जो शामिल किया गया। शेष प्रतिवादीगण द्वारा गत लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रा0 पत्र राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
राज0

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस दौरान स्पष्ट किया गया कि सैटलमैंट विभाग द्वारा विवादित आराजी को रिकार्ड

Scanned by CamScanner

... ता 1.18 है0 सही दर्ज किया हुआ है परन्तु नक्शा लट्ठा में रकबा कम दर्शाया
हुआ है। सम्वत 1978 सन् 1921–22 में बनी साबिक ...
अंकित है वह सही अंकित है और सम्वत 20... प्रार्थीगण की बहस पर गौर कि

या ... में जो ... जो नक्शा
... अनुसार सही नहीं है। अतः वर्तमान नक्शा तितम्बा काटा ... नक्शा तितम्बा जमाबंदी में
...ुसार सही कराया जावे। प्रा0 पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का ... क्या गया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमावंदी सम्वत 2068–71 के ...दित आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। ...ाग द्वारा विवादित आराजी का तितम्बा काटते समय नक्शा लट्ठा मे ...अंकित किया गया है जिसको प्रार्थीगण जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार ...ना चाहते है। हाल व साबिक नक्शो के अवलोकन से प्रार्थी का प्रा0 पत्र ...कार है।

आदेश है कि प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया ...था प्रार्थीगण की खातेदारी का तितम्बा जमाबन्दी में अंकित हाल ख.नं. ... 1.18 है0 वाकै ग्राम लीलामंढा का साबिक नक्शा मसाबी व मौके के ...ल नक्शा में रकबा 1.18 है0 यानि 4.13 बीघा के अनुसार तितम्बा दुरूस्त ... आदेश दिये जाते है। तदनुसार दुरूस्ती हेतु निर्णय प्रति पालनार्थ ... थानागाजी को प्रषित हो।

...य आज दिनांक 22.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प विजयपुरा में ...कर लिखाया गया।

कैलाश चन्द्र शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज0

दर्ज रकबा अ...
गया।

विद्वान ...
अवलोकन वि...
अनुसार विव...
भू–प्रबन्ध वि...
नक्शा कम ...
दुरूस्त करा...
काबिले स्वी...

अतः ...
जाता है त...
332 रकबा ...
अनुसार हा...
करने के ...
तहसीलदार...

निर्ण...
सुनाया जा...

Scanned by CamScanner